उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद
U.P. COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH
राजकीय उद्यान, करियप्पा मार्ग, आलमबाग, लखनऊ–226005
Rajkiya Udhyan, Cariappa Road, Alambagh, Lucknow-226005

पत्रांकः 1505 / एनआरएम / डब्लूबीएसएलएएजी / पीएल / 2021 दिनॉकः 21.11.2025

दिनांक : 20 नवम्बर, 2025
समय : 12:00 बजे
स्थान : उपकार सभाकक्ष
उपस्थिति : संलग्न

मौसम आधारित राज्य स्तरीय कृषि परामर्श समूह (क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप) की वर्ष 2024–25 की सत्रहवीं बैठक की कृषकों के उपयोगार्थ संस्तुतियॉ

क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप की वर्ष 2024–25 की सत्रहवीं बैठक डा. संजय सिंह, महानिदेशक, उ.प्र. कृषि अनुसंधान परिषद की अध्यक्षता में दिनांक 20 नवम्बर, 2025 को परिषद के सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में अपर कृषि निदेशक (प्रसार) कृषि भवन, लखनऊ, चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के पूर्व मौसम वैज्ञानिक तथा तकनीकी अधिकारी, उद्यान विभाग, पशुपालन विभाग, कृषि विभाग, उ.प्र. डिजास्टर मैनेजमेंट एथारिटी, रेशम विभाग, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, रायबरेली रोड, लखनऊ तथा उपकार के वैज्ञानिकों / अधिकारियों ने भाग लिया। उक्त के अतिरिक्त बैठक में बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा; बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी; आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या के राईस ब्रीडर एवं सह प्राध्यापक, पशु रोग औषधि एवं विष विज्ञान विभाग;रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी के तिलहन वैज्ञानिक; सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ; आंचलिक भारतीय मौसम विज्ञान केन्द्र, अमौसी, लखनऊ;केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान (क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र) लखनऊ; केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ के वैज्ञानिकों ने ऑनलाइन प्रतिभाग किया।

प्रथम सप्ताह का मौसम पूर्वानुमान (21 से 27 नवम्बर, 2025)

भारत मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान के अनुसार इस सप्ताह के दौरान प्रदेश के समस्त कृषि जलवायु अंचलों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है।

इस सप्ताह के दौरान प्रदेश के विंध्य क्षेत्र के अधिकांश भाग में औसत साप्ताहिक अधिकतम तापमान सामान्य से (02 से 03 डिग्री से.) अधिक जबकि प्रदेश के अन्य कृषि जलवायु अंचलों में यह सामान्य के आस–पास रहने की संभावना है।

प्रदेश के भाभर–तराई क्षेत्र के पश्चिमी भाग में औसत साप्ताहिक अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री से. उत्तर–पूर्वी मैदानी एवं विंध्य क्षेत्र के अधिकांश भाग तथा पूर्वी मैदानी क्षेत्र के पूर्वी भाग में यह 28 से 30 डिग्री से. पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के अधिकांश भाग एवं मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के उत्तरी भाग में यह 24 से 26 डिग्री से. जबकि प्रदेश के अन्य कृषि जलवायु अंचलों में यह 26 से 28 डिग्री से. रहने की संभावना है।

आगामी 24 घंटों के दौरान तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने तथा उसके बाद के दिनों में 2–3 डिग्री से. की क्रमिक गिरावट आने की सम्भावना है।

प्रदेश के पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के कुछ भाग में औसत साप्ताहिक न्यूनतम तापमान सामान्य से (02 से 03 डिग्री से.) कम तथा विंध्य क्षेत्र के अधिकांश भाग में यह सामान्य से अत्यधिक कम (<04 डिग्री से) जबकि प्रदेश के अन्य कृषि जलवायु अंचलों में यह सामान्य के आस पास रहने की संभावना है।

प्रदेश के विंध्य क्षेत्र के दक्षिणी भाग में औसत साप्ताहिक न्यूनतम तापमान 06 से 08 डिग्री से. भाभर–तराई क्षेत्र के पश्चिमी भाग, विंध्य क्षेत्र के शेष भाग एवं पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के अधिकांश भाग में औसत साप्ताहिक न्यूनतम तापमान 08 से 10 डिग्री से. उत्तर–पूर्वी मैदानी एवं पूर्वी मैदानी क्षेत्र के अधिकांश भाग, मध्य मैदानी क्षेत्र के उत्तरी भाग भाभर–तराई क्षेत्र तथा मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के पूर्वी भाग में यह 12 से 14 डिग्री से. जबकि अन्य कृषि जलवायु अंचलों में यह 10 से 12 डिग्री से. रहने की संभावना है।

द्वितीय सप्ताह का मौसम दृष्टिकोण (28 नवम्बर से 04 दिसम्बर, 2025)

इस सप्ताह के अंतिम चरण के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं–कहीं छिट–पुट बारिश के अतिरिक्त प्रदेश के अन्य कृषि जलवायु अंचलों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है।

प्रदेश के विंध्य क्षेत्र एवं उत्तर–पूर्वी मैदानी के अधिकांश भाग में औसत साप्ताहिक अधिकतम तापमान सामान्य से (02 से 03 डिग्री से.) अधिक जबकि प्रदेश के अन्य कृषि जलवायु अंचलों में सामान्य के आस–पास रहने की संभावना है।

प्रदेश के भाभर–तराई क्षेत्र के पश्चिमी भाग एवं पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के उत्तरी भाग में औसत साप्ताहिक अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री से., उत्तर–पूर्वी मैदानी के उत्तरी एवं विंध्य क्षेत्र के दक्षिणी भाग में यह 28 से 30 डिग्री से. मध्य पश्चिमी मैदानी, मध्य मैदानी, बुंदेलखंड क्षेत्र के पश्चिमी भाग एवं दक्षिणी पश्चिमी अर्द्धशुष्क मैदानी क्षेत्र के अधिकांश भाग तथा पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के शेष भाग में यह 24 से 26 डिग्री से. जबकि प्रदेश के अन्य कृषि जलवायु अंचलों में यह 26 से 28 डिग्री से. रहने की संभावना है।

प्रदेश के विंध्य क्षेत्र के अधिकांश भाग एवं बुंदेलखंड क्षेत्र के दक्षिणी भाग में औसत साप्ताहिक न्यूनतम तापमान सामान्य से (02 से 04 डिग्री से.) कम जबकि प्रदेश के अन्य कृषि जलवायु अंचलों में यह सामान्य के आस–पास रहने की संभावना है।

प्रदेश के विंध्य क्षेत्र के अधिकांश भाग एवं पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के पश्चिमी भाग में औसत साप्ताहिक न्यूनतम तापमान 06 से 08 डिग्री से. उत्तर–पूर्वी मैदानी एवं पूर्वी मैदानी क्षेत्र के अधिकांश भाग, मध्य मैदानी क्षेत्र के उत्तरी भाग भाभर–तराई क्षेत्र तथा मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के पूर्वी भाग में यह 10 से 12 डिग्री से. जबकि अन्य कृषि जलवायु अंचलों में यह 08 से 10 डिग्री से. रहने की संभावना है।

कृषि विभाग, उ.प्र. द्वारा उपलब्ध कराये गये दिनांक 14 नवम्बर, 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में कुल रबी की बुवाई का लक्ष्य 138.78 लाख हे. के सापेक्ष कुल रबी फसलों की बुवाई 55.87 लाख हे. में हुई है जो लक्ष्य का 40.26 प्रतिशत है। गेहूँ के आच्छादन लक्ष्य 95.19 लाख हे. के सापेक्ष 23.16 लाख हे. में बुआई हुई जो लक्ष्य का 24.33 प्रतिशत है। जौ के आच्छादन लक्ष्य 2.00 लाख हे. के सापेक्ष 0.58 लाख हे. में बुआई हुई जो लक्ष्य का 29.15 प्रतिशत है। मक्का के आच्छादन लक्ष्य 0.36 लाख के सापेक्ष 0.13 लाख हे. में बुआई हुई जो लक्ष्य का 36.54 प्रतिशत है। चना के लक्ष्य 6.90 लाख हे. के सापेक्ष 4.48 लाख हे. में बुआई हुई जो लक्ष्य का 64.97 प्रतिशत है। मटर के लक्ष्य 4.00 लाख हे. के सापेक्ष 2.98 लाख हे. में बुआई हुई जो लक्ष्य का 74.61 प्रतिशत है। मसूर के लक्ष्य 6.64 लाख हे. के सापेक्ष 4.28 लाख हे. में बुआई हुई जो लक्ष्य का 64.38 प्रतिशत है। तिलहनी फसलों में तोरिया की बुवाई लक्ष्य 5.00 लाख हे. के सापेक्ष 4.84 लाख हे. में हुई है जो लक्ष्य का 96.98 प्रतिशत है जबकि राई–सरसों के 18.23 लाख हे. लक्ष्य के सापेक्ष 15.08 लाख हे. में बुवाई हुई जो लक्ष्य का 82.74 प्रतिशत है। अलसी के 0.46 लाख हे. लक्ष्य के सापेक्ष 0.31 लाख हे. में बुवाई हुई जो लक्ष्य का 68.91 प्रतिशत है।

प्रदेश में मौसम के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किसानों को अगले दो सप्ताह हेतु कृषि प्रबन्धन के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये जाते हैंः–

- मौसम के दृष्टिगत सिंचित दशा में गेहूँ की बुवाई के लिए तापक्रम अनुकूल है अतः अतिशीघ्र बुवाई करें।
- दिसम्बर माह में कृषक देर से बोई जाने वाली गेहूं की किस्मो का चयन करें जिससे उचित उत्पादन का लाभ लिया जा सके।
- रबी फसलों की बुवाई हेतु उपचारित बीज का ही प्रयाग करें यदि बीज उपचारित नहीं है तो बीज उपचारित करके बुवाई करें।
- जलवायु के बदलते परिवेश में सिंचित दशा में समय से बोई जाने वाली गेहूं की ताप सहिष्णु संस्तुत किस्मों एच.डी.–3293, डी.बी.डब्लू.–327 (करण शिवानी), डी.बी.डब्लू.–296 (करण ऐश्वर्या), डी.बी.डब्लू.–90 (ई), एच.डी.–3388 (पूसा यशोधरा), एच.डी.–3086, एच.डी.–3386, को प्राथमिकता देते हुये बुवाई शीघ्र समाप्त कर लें।
- विलम्ब से गेहूं की बुवाई के समय उर्वरक सही गहराई में डालने तथा कम व्यय में कतार में बुवाई के लिये जीरोटिल फर्टीड्रिल का प्रयोग करें।
- चना की विलम्ब से बुवाई दिसम्बर के प्रथम सप्ताह तक अवश्य कर दें।
- चना, मटर और मसूर की समय से बोई गई फसलों से खरपतवार निकाई–गुड़ाई द्वारा नियंत्रित करते रहें तथा आवश्यकतानुसार सिंचाई करें।
- तापक्रम में गिरावट के दृष्टिगत शरदकालीन गन्ना की बुवाई का कार्य शीघ्र पूर्ण कर लें।
- पशुओं को सर्दी से बचाने के लिये पशु घर का उचित प्रबंध कर लें।
- पशुओं का बिछावन सूखा होना चाहिये। जिसे एक या दो दिन बाद अवश्य बदल दें।
- तालाब के पानी का तापक्रम प्रातः 6:00 बजे 20 डिग्री सें. से कम हो गया है। अतः मछलियों को पूरक आहार देना बन्द कर दें। तालाब में गोबर की खाद एवं रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग भी बंद कर दें।
- सेक्स सार्टेड सीमन द्वारा गायों में कृत्रिम गर्भाधान का उपयोग कर लगभग 90 प्रतिशत बछिया पाये जिससे अवारा बछड़ों की संख्या में कमी होगी।

गेहूँ की खेती

- प्रदेश के दक्षिणी–पश्चिमी अर्द्धशुष्क मैदानी तथा मध्य मैदानी क्षेत्रों के लिये गेहूं की संस्तुत किस्मों– एच.डी.–3086, एच.डी.–3298, पी.बी.डब्लू.–752, उन्नत पी.बी.डब्लू.–343 की बुवाई शीघ्र समाप्त करें।
- प्रदेश के बुन्देलखंड क्षेत्र के लिए गेहूं की संस्तुत किस्मों यथा एच. डी.– 3271, एच. डी. – 3369, एच. आई.–8759, डब्लू. बी.–2, डी.बी.डब्लू.–55, डी.बी.डब्लू.–359 की बुवाई शीघ्र समाप्त करें ।
- प्रदेश के विन्ध्य क्षेत्र के लिए गेहूं की संस्तुत किस्मों यथा एच. डी.–3226, डी. बी. डब्लू–173 की बुवाई शीघ्र समाप्त करें।
- प्रदेश के उत्तर–पूर्वी व पूर्वी मैदानी क्षेत्रों के लिए गेहूं की संस्तुत किस्मों यथा एच.डी.–2967, एच.डी.–3226, एच.डी.–3928, एच.डी.–3086, एच.डी.–3271, एच.डी.–3046 आदि की बुवाई शीघ्र समाप्त करें।
- गेहूं की संस्तुत किस्मों यथा डी.बी.डब्लू.–187(करण वंदना) डी.बी.डब्लू.–222, डी.बी.डब्लू.–303, डी.बी. डब्लू–296, डी.बी.डब्लू.–371 की बुवाई प्रदेश के समस्त कृषि जलवायु अंचलों मे की जा सकती है।
- ऊसरीली भूमि हेतु गेहूं की संस्तुति किस्मों यथा डी.बी.डब्लू.–252 (करण श्रेया), केआरएल–283, केआरएल–210, एचयूडब्लू–669 की बुवाई करें।
- लाइन से बोये गये गेहूं के साथ अलसी व देर से बुवाई हेतु संस्तुत राई की प्रजातियों की बुवाई सह फसली खेती के रूप में करें।
- यदि बीज शोधित न हो तो अनावृत कण्डुआ एवं करनाल बन्ट के नियंत्रण हेतु थीरम 75 प्रतिशत डब्लू. एस. की 2.5 ग्राम अथवा कार्बेन्डाजिम 50 प्रतिशत डब्लू.पी. की 2.5 ग्राम अथवा कार्बाक्सिन 75 प्रतिशत डब्लू.पी. की 2.0 ग्राम अथवा टेबूकोनाजोल 2 प्रतिशत डी.एस. की 1.0 ग्राम मात्रा प्रति किग्रा. बीज अथवा 5 ग्रा. ट्राइकोडर्मा बिरडी/हार्जेनियम प्रति किग्रा. बीज की दर से बीज शोधन कर बुवाई करें।
- बीज जनित सेंहू रोग से बचाव हेतु बुवाई से पूर्व बीज को 2 प्रतिशत नमक के घोल में डुबायें (200 ग्रा. नमक को 10 ली. पानी में घोलकर) जिससे रोगग्रसित बीज हल्का होकर तैरने लगे तैरते बीजों को निकालकर नष्ट कर दें।
- भूमि जनित एवं बीज जनित रोगों के नियन्त्रण हेतु बायोपेस्टीसाइड (जैव कवकनाशी) ट्राईकाडर्मा विरडी 1 प्रतिशत डब्लू.पी. अथवा ट्राइकोडर्मा हारजिएनम 2 प्रतिशत डब्लू.पी. की 2.5 किग्रा. मात्रा प्रति हे. 60–70 किग्रा. सड़ी हुई गोबर की खाद में मिलाकर हल्के पानी का छींटा देकर 8–10 दिन तक छाया में रखने के उपरान्त बुआई से पूर्व आखिरी जुताई पर भूमि में मिला देने से अनावृत्त कण्डुआ, करनाल बन्ट आदि रोगों के प्रबन्ध में सहायता मिलती है। इसे मिलाते समय भूमि में नमी का भी ध्यान रखें।

जौ की खेती

- जौ की छिलकायुक्त संस्तुत किस्मों आर.एस.–6, के–125 (आजाद), के.–560 (हरीतिमा), के–603 व छिलकारहित किस्म के–1149 (गीतांजली) की बुवाई यथाशीघ्र करें।
- जौ की सिंचित दशा के लिये छिलकायुक्त संस्तुत किस्मों जैसे के.–1055 (प्रखर), के.–287 (जागृति), के.–409 (प्रीति), नरेन्द्र जौ–एन.डी.बी.–940, एन.डी.बी.–1173, एन.डी.बी.–1145 व छिलकारहित संस्तुत किस्म एन.डी.बी.–943, मार्ट हेतु संस्तुत किस्म डी.डब्लू.आर.–28, के.–551 (ऋतम्भरा), डी.बी.डब्लू.आर. बी.–101, डी.बी.डब्लू.आर.बी.–137 की बुवाई यथाशीघ्र करें।
- ऊसरीली भूमि हेतु जौ की संस्तुत किस्म केबी–1425, नरेन्द्र जौ–1445 की बुवाई करें।

तिलहनी फसलों की खेती

- सरसों की फसल में दो निराई–गुड़ाई 25–30 एवं 40–45 दिनों बाद कर लेने से अधिक पैदावार प्राप्त होती है।
- सरसों में आवश्यकता से अधिक घने पौधों की छटाई/विरलीकरण बुवाई से 15 से 20 दिन अंदर घने पौधों को निकालकर (थिनिंग) उनकी आपसी दूरी 15 से.मी. कर देना आवश्यक है।
- विलम्ब से बुवाई करने के लिये सरसों की बी.पी.एम.–11, वरदान, राधिका व आर्शीवाद प्रजातियों का चयन करें।
- कुसुम की प्रजातियों के–65 व मालवीय कुसुम–305 की बुवाई यथाशीघ्र समाप्त करें।

दलहन की खेती

- दलहनी फसलों के बीज शोधित एवं उपचारित न होने की स्थिति में राइजोबियम कल्चर तथा पी.एस. बी. से उपचारित करने के बाद ही बुवाई करें। दलहनी फसलों में 100 कि.ग्रा. डी.ए.पी. के साथ 20 कि.ग्रा. गंधक प्रति हे. की दर से बुवाई के समय प्रयोग करें।
- चने की देर से बुवाई हेतु काबुली चना की संस्तुत किस्मों यथा फूले विक्रम (जी–08108), जी.एल.के. –28127, जी.एन.जी.–1969 (के.), तथा देशी चना की संस्तुत किस्में यथा आई.पी.सी.–2005–62, आई. पी.सी.–2006–77, जी.एन.जी.–2207 (अवध), पूसा विजय, पूसा–3043, आर.पी.जी.–204 की बुवाई यथाशीघ्र सम्पन्न करें।
- मटर की किस्मों यथा, आईपीएफडी–13–2 (अनंत),एचएफपी–1428, आईपीएफडी–12–8, पंत मटर–347, आईपीएफडी–6–3, आईपीएफडी–11–5, आईपीएफडी–2014–2, आईपीएफडी–13–2, आईपीएफडी–9–2, पी–250, आईपीएफ–16–13 की बुवाई यथाशीघ्र सम्पन्न करें।
- मसूर की किस्मों यथा कोटा मसूर–3, आई.पी.एल.–526, आई.पी.एल.–321, आई.पी.एल.–220, आई.पी. एल.–315, आई.पी.एल.–225, के.एल.एस.–122 (शेखर–5), एल.–4717, एल.–4727 आदि की बुवाई यथाशीघ्र सम्पन्न करें ।
- बुवाई से पूर्व 10 कि.ग्रा. बीज को मसूर के 01 पैकेट को 200 ग्रा. राईजोबियम लेग्यूमिनोसेरम कल्चर से उपचारित करें विशेषकर उन खेतों में जिनमें पहले मसूर नहीं बोई गई है।

रबी मक्का की खेती

- रबी मक्का की बुवाई के 20 से 25 व 40 से 45 दिन बाद निराई गुड़ाई करें अथवा एट्राजीन 50 प्रतिशत डब्लू.पी. 1 से 1.5 कि.ग्रा. मात्रा 500 से 600 ली. पानी में घोलकर बुवाई के बाद तथा जमाव से पहले छिड़काव करें।
- रबी मक्का की बुवाई के 25 से 30 दिन उपरांत प्रथम सिंचाई करें।

गन्ना की खेती

- शरदकालीन गन्ने के साथ अंतःफसली खेती की समय समय पर निराई–गुड़ाई एवं सिंचाई अवश्य करें।
- शरदकालीन गन्ने के जमाव के पश्चात् गन्ने में अंतःफसली खेती हेतु सब्जियां दलहन, तिलहन आदि की बुवाई करें। अंतःफसली फसलें ज्यादा वानस्पतिक फैलाव वाली नहीं होनी चाहिये।
- चीनी मिलों में गन्ना आपूर्ति करते समय गन्ने की कटाई जमीन की सतह से करें।
- गन्ने की कटाई तभी करें जब सप्लाई टिकट का एस.एम.एस. आपके मोबाईल पर आ जाय।
- स्वच्छ एवं ताजे गन्ने की सप्लाई करें, जिससे आपको गन्ने का सही वजन प्राप्त हो।
- लाल सड़न रोग से प्रभावित गन्ने की कटाई के पश्चात खेत की गहरी जुताई कर ठूठों को निकाल दें तथा फसलचक्र अपनायें।

सब्जियों की खेती

- एकीकृत कीट प्रबंधन के लिये गोभीवर्गीय फसलों में कर्ड/फूल बनने की अवस्था के समय नीम सीड करनेल एक्सट्रैक्ट 05 मि.ली./10 ली. पानी में मिलाकर 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें।
- गोभीवर्गीय फसलों में डायमंड बैक मोथ का प्रकोप होने पर क्लोरेन्टरानिलिप्रोल 0.5–1 मिली रसायन प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर का छिड़काव करें।
- उचित मृदा नमीं की स्थिति में टमाटर की फसल में निराई–गुड़ाई एवं मिट्टी चढ़ाने का कार्य व पौधे की स्टेकिंग करें। फसल को झुलसा रोग से बचाने के लिये 0.2 प्रतिशत (2 ग्राम/ली.) की दर से मैन्कोजेब का छिड़काव करें। फसल को कीटों से बचाव हेतु ब्यूवेरिया वेसियाना (फफूंद) 3–5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर या नीम आधारित कीट नाशकों का प्रयोग करें।
- यदि लहसुन बीज की बुवाई अब तक नहीं हो पाई है तो अवश्य पूर्ण कर लें। पिछले माह में लहसुन की बुवाई की गयी फसल की निराई–गुड़ाई एवं सिंचाई करें।

- मिर्च/टमाटर में सफेद मक्खी/थ्रीप्स से बचाव के लिए फिप्रोनिल/इमिडाक्लोप्रिड 1.0 मिली रसायन प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें।
- बैगन की फसल में प्ररोह एवं फल छेदक कीट की रोकथाम के लिए ब्यूवेरिया वेसियाना (फफूंद) 3–5 ग्राम या फ्लूबेन्डामाइड 0.5–0.75 मिली रसायन प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर का छिड़काव करें।
- आलू की फसल में अगेती/पिछेती झूलसा बीमारी की रोकथाम हेतु मैन्कोजैब/प्रोपीनेब/कार्बेडाजिम फफूंदनाशक दवा का रोग सुग्राही किस्मों में 2.0–2.5 किग्रा0 दवा 1000 ली0 पानी मे घोलकर तुरन्त छिड़काव करें। साथ ही साथ यह भी सलाह दी जाती कि जिन खेतो में बीमारी का प्रकोप हो चुका है उनमें किसी भी फफूंदनाशक–साईमोक्सेनिल़मैन्कोजेब का 2.0–2.5 किलोग्राम प्रति हे0 (1000 लीटर पानी) की दर से अथवा मेटालैकजिल़मैन्कोजेब का 2.0–2.5 किलोग्राम प्रति हे0 (1000 लीटर पानी) की दर से 15–15 दिन के अन्तराल पर छिड़काव करें।

बागवानी

- आम में मिलीबग (गुजिया) कीट को पेड़ों पर चढ़ने से रोकने के लिए पेड़ के तनो पर चारो ओर 400 गेज की मोटी सफेद पालीथीन की 25 सेन्टीमीटर की चौड़ी पट्टी लपेटकर भूमि से लगभग 40 सेन्टीमीटर ऊपर मिट्टी की पतली परत चढ़ा दें तथा नियत्रंण हेतु 2 प्रतिशत मिथाइल पैराथियान चूर्ण (200 ग्राम/पेड़) तने के चारों तरफ ओर बुरकाव करें।
- आम में शूट गाल मेकर एवं टैन्ट कैटरपिलर (जाला कीट) से प्रभावित शाखाओं की छॅटाई कर उन्हें नष्ट कर दें तथा नियंत्रण हेतु लैम्बडासाइहलोथ्रिन 1.5–2.0 मिली0/ली0 पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें।
- आम में यादि शाखाओं में डाइबैक रोग/गोंद निकलने की समस्या हो तो पौधों की जड़ों के पास 200–400 ग्रा. कॉपर सल्फेट प्रति वृक्ष की दर से प्रयोग करें तथा थायोफिनट मिथाइल 1 मिली रसायन प्रति लीटर पानी में घोलकर पर्णीय छिड़काव करें।
- केले में 50–60 ग्रा. यूरिया तथा 100–125 ग्रा. म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति पौधे की दर से प्रयोग करें तथा 10 दिनों के अन्तराल पर सिंचाई करें।
- अमरूद में छाल खाने वाली इल्ली की रोकथाम के लिए सबसे पहले पतले तार या साइकिल की तीली से सुराखों की सफाई करे, नियंत्रण हेतु डाईक्लोरवास दवा को रूई में भिगोकर सुराखों में भरकर गीली मिट्टी का लेप लगायें।
- अमरूद के फलों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिये पोटेशियम 1 से 2 ग्रा. प्रति ली. पानी में घोलकर छिड़काव करें।
- मशरूम उत्पादन एवम् मधुमक्खी पालन हेतु कृषक– जिला उद्यान अधिकारी, अधीक्षक राजकीय उद्यान, राजकीय मशरूम प्रशिक्षण केन्द्र, अलीगंज, लखनऊ, औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र, बस्ती एवं कृषि विज्ञान केन्द्र या कृषि विश्वविद्यालयों से सम्पर्क कर सकते है।

मशरूम की खेती

- मशरूम की खेती में कई प्रकार के कीट एवं बीमारियां लाती है, इनमें से प्रमुख कवक एवं जीवाणु जनित बीमारियों के लक्षण बैग की सतह पर भूरे, हरे और पीले धब्बों के रूप में दिखाई देते है। इसके प्रबंधन के लिये 2 मि.ली. फॉर्मेलिन को 1 लीटर पानी के साथ घोल बनाकर, रूई को घोल में भिगोकर प्रभावित स्थानों पर लगायें।
- मशरूम की खेती के कमरे में आर्द्रता 85 प्रतिशत एवं तापमान 18 से 20 डिग्री से. तक रखें।
- मशरूम उत्पादन हेतु कृषक जिला उद्यान अधिकारी, अधीक्षक राजकीय उद्यान, राजकीय मशरूम प्रशिक्षण केन्द्र, अलीगंज, लखनऊ, औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र, बस्ती एवं कृषि विज्ञान केन्द्र या कृषि विश्वविद्यालयों से सम्पर्क कर सकते हैं।

पशुपालन

- राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत पशुओं में लम्पी त्वचा रोग का टीकाकरण प्रत्येक जनपद में समस्त पशुचिकित्सालयों के माध्यम से टीकाकरण कार्यकर्ताओं द्वारा पशुपालन विभाग द्वारा निःशुल्क कराया जा रहा है। अतः पशुपालक इसका लाभ उठायें।
- पशुपालक मोरिंगा की पत्तियों को पशु चारे के साथ प्रयोग करें।

- जई की बहुकटाई प्रजाति जे.एच.ओ.–851 एवं एकल कटाई वाली जे.एच.ओ.–822 की बुवाई करें।
- यदि फरवरी तक खेत खाली पड़े रहने की संभावना है तथा कम सिंचाई की व्यवस्था है तो बरसीम की किस्म जेबीएससी–1 की बुवाई करें।
- किलनी/जू के संक्रमण से बचाव हेतु पशुबाड़ों में चूने का छिड़काव करें ताकि किलनी/जू के अंडे व लार्वा नष्ट हो जाय। इनके व्यस्क बाह्य परजीवी के संक्रमण से बचाव हेतु किलनीनाशक दवा का प्रयोग पशु चिकित्सक की सलाह पर करें।
- पशुओं को केवल हरा चारा न खिलायें उनको 60:40 के अनुपात में हरा एवं सूखा मिलाकर की खिलायें।
- प्रजनन संबंधी समस्त रोगों के निराकरण हेतु पशुपालकों को सलाह दी जाती है कि हरा चारा, भूसा, पशु आहार के अतिरिक्त खनिज लवण अवश्य खिलायें।
- कृषकों/पशुपालकों के द्वार पर पशुचिकित्सा उपलब्ध कराने हेतु विभाग के द्वारा मोबाइल वेटनरी यूनिट योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना का लाभ लेने हेतु सभी कृषक/पशुपालक टोल फ्री हेल्पलाइन नं.–1962 पर सम्पर्क पर योजना का लाभ ले सकते हैं।
- पं.दीन दयाल उपाध्याय मेले का आयोजन मण्डल/जिला एवं विकास खण्ड के ग्रामों में आयोजित किया जा रहा है जिसमें निशुल्क चिकित्सा, दवापान एवं गोष्ठियों का भी आयोजन किया जा रहा है।

मत्स्य पालन

- झींगा पालने वाले मत्स्य पालक उसे तालाब से निकाल कर बिक्री करें अन्यथा तापमान कम होने पर नुकसान होगा।
- यदि एपीजोटिक अल्सरेटिव सिण्ड्रोम से रोग ग्रस्त मछली जाल में आती है और रोग की प्रारम्भिक अवस्था में है तो 1 कि.ग्रा. पोटेशियम परमैग्नेट प्रति हे. जलक्षेत्र की दर से घोल बनाकर तालाब में छिड़काव करें तथा 15 दिन के पश्चात 250 कि.ग्रा. बुझा हुआ चूना का घोल बनाकर तालाब में छिड़काव करें। पोटेशियम परमैग्नेट एवं चूना को 1 महीने के अन्तराल के बाद 3 बार घोल बनाकर तालाब में छिड़काव करें, अथवा रोगग्रस्त तालाब में मत्स्य रोग की रोकथाम हेतु 1 लीटर/हे. की दर से सीफैक्स का घोल बनाकर तालाब में छिड़काव करें।
- जिन तालाबों में मछलियों को रोग नहीं लगा है उनमें भी 250 कि.ग्रा. प्रति हे. की दर से बुझे हुए चूने का घोल बनाकर छिड़काव करें।

रेशम पालन

- दिसम्बर माह के प्रथम सप्ताह में शहतूत वृक्षारोपण की प्रुनिंग एवं ट्रीमिंग का कार्य प्रारंभ कराते हुये शहतूत बागानों में से खरपतवार एवं घास आदि की सफाई समय से करा ली जाय तदोपरांत अन्य कर्षण–कार्य प्रारंभ कर दिया जाय।
- कृषक/कीटपालक ई–डिस्ट्रिक विभागीय यू.आर.एल. ***http://sericulture.eservicesup.in*** पर अपना पंजीकरण कराते हुये आवश्यक कीटाण्ड मात्रा आरक्षित करा लें। किसी भी प्रकार की असुविधा/जानकारी के लिये दिये गये नंबर पर सम्पर्क करें 7388305554 ।

वानिकी

- पॉपलर की कटिंग क्यारियों में लगा दें। बकैन जैसे पतझड़ी पौधों का रोपण कर दें।
- पॉपलर के पौध रोपण हेतु गड्ढ़ों की खुदाई करें।
- जो कृषक वन पौधशाला को एक व्यवसाय के रूप में अपनाना चाहते हैं वे वन विभाग की निकटतम प्रदर्श पौधशाला में कम्पोस्टिंग, रूट ट्रेनर का प्रयोग एवं पौधशाला से सम्बन्धित समस्त जानकारी/प्रशिक्षण प्राप्त कर लें। इसके लिए जिले में डी.एफ.ओ. तथा तहसील में रेन्ज कार्यालय से सम्पर्क करें।

राज्य आपदा प्रबंधन

- आपदाओं से क्षति के क्रम में जनहानि, पशुहानि, भवनहानि, कृषि क्षति के सापेक्ष कृषि निवेश अनुदान खोज एवं बचाव कार्य, रिकवरी एवं पुर्ननिर्माण मद, क्षमता निर्माण इत्यादि भिन्न भिन्न मदों में कृषकों को राज्य आपदा मोचन निधि (एस0डी0आर0एफ0) से सहायता देने की विभिन मदें और मानदण्ड

निर्धारित हैं। जिसकी जानकारी कृषक राहत आपदा कंट्रोल रूम नंबर 1070 एवं 1077 से सम्पर्क कर उठा सकते हैं ।

- आपदा प्रबंधन हेतु अधिक जानकारी के लिए सम्बंधित जनपद के डिस्ट्रिक डिजास्टर मैनेजमेन्ट एथोरिटी से सम्पर्क स्थापित करें।

नोटः– क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप की बैठक की संस्तुतियां वेबसाईट *upcar.up.gov.in* पर भी उपलब्ध हैं।

- क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप की संस्तुतियां कृषि विज्ञान केन्द्रों तथा एफ.पी.ओ. को प्रेषित की जा रही हैं, इनसे अनुरोध है कि यदि इनके कोई सुझाव हो तो परिषद के ईमेल upcar12@gmail.com पर प्रेषित करने का कष्ट करें जिससे आगामी बैठकों में उनके सुझावों पर चर्चा कर संस्तुतियां दी जा सकें।

(संजय सिंह)
महानिदेशक

<u>प्रतिलिपिः उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।</u>

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, उ.प्र. शासन को माननीय मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, उ.प्र. शासन को माननीय राज्य मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष, को माननीय अध्यक्ष जी के अवलोकनार्थ।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन, लखनऊ।
5. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ.प्र. शासन को महोदय के सूचनार्थ।
6. प्रमुख सचिव, कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, उ.प्र. शासन, लखनऊ।
7. अपर मुख्य सचिव, उद्यान, उ.प्र. शासन।
8. अपर मुख्य सचिव, पशुपालन, उ.प्र. शासन।
9. अपर मुख्य सचिव, मत्स्य, उ.प्र. शासन।
10. अपर मुख्य सचिव, रेशम, उ.प्र. शासन।
11. अपर मुख्य सचिव, नियोजन योजना भवन, लखनऊ।
12. कुलपति, च.शे.आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर, आ.न.दे.कृ. एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मोदीपुरम, मेरठ, बॉदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बॉदा, सै. हिग्गिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, प्रयागराज।
13. गन्ना आयुक्त, गन्ना आयुक्त कार्यालय, 17 न्यू बेरी रोड, गन्ना किसान संस्थान, डालीबाग, लखनऊ।
14. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उ.प्र., केसरबाग, लखनऊ।
15. राहत आयुक्त, उ.प्र. शासन को इस आशय से प्रेषित कि वह ग्राम प्रधान को समूह की संस्तुतियां प्रेषित करेगें।
16. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ. प्र. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, लखनऊ।
17. समस्त जिलाधिकारी, उ.प्र.।
18. निदेशक कृषि, कृषि भवन, लखनऊ।
19. निदेशक, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, रायबरेली रोड, लखनऊ।
20. निदेशक, केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ।
21. निदेशक, राष्ट्रीय मत्स्य आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो, लखनऊ।
22. अध्यक्ष, केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, लखनऊ।
23. निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहांपुर।
24. निदेशक, रेशम, रेशम विभाग, गोमती नगर, लखनऊ।
25. निदेशक, मत्स्य, मत्स्य निदेशालय, फैजाबाद रोड, लखनऊ।

26. निदेशक, उद्यान, उद्यान विभाग, लखनऊ।
27. निदेशक, पशुपालन, पशुपालन विभाग, लखनऊ।
28. निदेशक, राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ।
29. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष, वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग, नरही, लखनऊ।
30. प्रबन्ध निदेशक, बीज विकास निगम, बादशाहनगर, लखनऊ।
31. निदेशक, सांख्यिकी, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश।
32. निदेशक प्रसार, च.शे.आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर/ आ.न.दे.कृ. एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या/ सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मोदीपुरम, मेरठ/ बॉदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बॉदा/ सै. हिग्गिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, प्रयागराज।
33. निदेशक, दूरदर्शन, लखनऊ।
34. निदेशक, आकाशवाणी, लखनऊ।
35. निदेशक, रिमोट सेन्सिग एप्लीकेशन सेण्टर, सेक्टर जी, जानकीपुरम, कुर्सी रोड, लखनऊ।
36. निदेशक, कृषि मौसम, मौसम केन्द्र, अमौसी, लखनऊ।
37. निदेशक सूचना, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उ.प्र. लखनऊ।
38. अपर कृषि निदेशक(सामान्य), कृषि निदेशालय, कृषि भवन, लखनऊ।
39. अपर कृषि निदेशक, प्रसार, कृषि भवन, लखनऊ।
40. अपर कृषि निदेशक, कृषि रक्षा, कृषि भवन, लखनऊ।
41. संयुक्त कृषि निदेशक, शोध एवं मृदा सर्वेक्षण, कृषि भवन, लखनऊ को किसान कॉल सेंटर के उपयोगार्थ प्रेषित।
42. कृषि विभाग के सभी संयुक्त कृषि निदेशक, उप कृषि निदेशक एवं जिला कृषि अधिकारी
43. प्रदेश के 20 कम्युनिटी रेडियो।
44. प्रदेश के समस्त कृषि विज्ञान केन्द्र
45. प्रदेश के 1500 एफ.पी.ओ.
46. किसान मित्र चैट बॉट, कृषि समृद्धि टीम, कृषि विभाग, लखनऊ।
47. बैठक में उपस्थित संबंधित अधिकारी/वैज्ञानिक।
48. निजी सचिव महानिदेशक, उपकार को महानिदेशक महोदय के सूचनार्थ।

(विनोद कुमार तिवारी)
प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी एवं सदस्य सचिव

संलग्नक

मौसम आधारित राज्य स्तरीय कृषि परामर्श समूह (क्राप वेदर वाच ग्रुप) की वर्ष 2024–25 की सत्रहवीं बैठक दिनांक 20 नवम्बर, 2025 की उपस्थिति

1. डा. संजय सिंह, महानिदेशक, उपकार, लखनऊ।
2. डा. ए.के. सिंह, सचिव, उपकार, लखनऊ।
3. डा. संजीव कुमार, उपमहानिदेशक, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ।
4. डा. परमेन्द्र सिंह, उपमहानिदेशक (कृ.शि.त.ह.), उपकार, लखनऊ
5. डा. विनोद कुमार तिवारी, प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी एवं सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ।
6. डा. सौरभ दीक्षित, राईस ब्रीडर, क्राप रिसर्च स्टेशन, मसौधा, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या (ऑनलाइन)।
7. डा. सत्यव्रत सिंह, सह प्राध्यापक, पशु रोग औषधि एवं विष विज्ञान विभाग, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या (ऑनलाइन)।
8. श्री के.पी.सिंह, उप कृषि निदेशक, (सांख्यिकी), कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश (ऑनलाइन)।
9. श्री अतुल कुमार सिंह, प्रभारी वैज्ञानिक, आंचलिक भारतीय मौसम विज्ञान केन्द्र, अमौसी, लखनऊ (ऑनलाइन)।
10. डा. एस.एन. पाण्डेय, पूर्व मौसम वैज्ञानिक, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर।
11. डा. सुरेन्द्र कुमार सिंह, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (कीट विज्ञान विभाग), बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा (ऑलनाइन)।
12. डा. यू.पी. शाही, प्राध्यापक मृदा विज्ञान एवं प्रधान अन्वेषक, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा (जीकेएमएस) सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ (ऑनलाइन)।
13. डा. दिनेश शाह, प्राध्यापक, शस्य विज्ञान एवं इंचार्ज, एग्रोमेट आबजरवेट्री, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा (ऑनलाइन)।
14. डा. जे. जार्बेन, सह प्राध्यापक, अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी (ऑनलाइन)।
15. डा. एस.के. मिश्र, उपनिदेशक (प्रक्षेत्र एवं पशुधन विकास), पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।
16. श्री आदित्य सिंह, सीनियर टेक्नीकल असिसटेंट, पादप रक्षा विभाग, कृषि विभाग, लखनऊ।
17. श्रीमती प्रियंका द्विवेदी, प्रोजेक्ट एक्सपर्ट, उ.प्र. डिजास्टर मैनेजमेंट एथारिटी, प्रथम तल पिकअप भवन, गोमती नगर, लखनऊ।
18. डा. राकेश चौधरी, वैज्ञानिक, अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग, रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी (ऑनलाइन)।
19. डा. पी.के.शुक्ला, प्रधान वैज्ञानिक, केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ (ऑनलाइन)।
20. डा. अनूप कुमार दीक्षित, प्रधान वैज्ञानिक, केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान (क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र) लखनऊ (ऑनलाइन)।
21. डा. अनुष्का पाण्डेय, प्रोग्राम मैनेजर, क्राप वेदर वॉच ग्रुप, उपकार, लखनऊ।
22. श्री सर्वेश चन्द्र, जिला उद्यान अधिकारी, उद्यान विभाग, लखनऊ।
23. श्री डी.पी. सिंह, प्रदर्शक रेशम उत्पादन, रेशम विभाग, लखनऊ।